न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 20/2018, जिला अलवर

1. कमल पुत्र मुरली, जाति माली, निवासी ग्राम समूची, तहसील कठूमर, जिला अलवर। — अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बत्तो पत्नि रामचरण, जाति माली, निवासी ग्राम समूची, तहसील कठूमर, जिला अलवर। — असल रेस्पोंडेन्ट
2. ग्राम पंचायत, समूची, पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर।
3. नत्थी पुत्र सुखपाल, जाति माली, निवासी समूची, तहसी कठूमर, जिला अलवर। — तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर दिनांक 26.06.2018 जिसके द्वारा असल–रेस्पोडेन्ट की अपील गलत तरीके पर खिलाफ मनशाये कानून स्वीकार की गई जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक –21.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि आराजी खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर का 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार नत्थी पुत्र सुखपाल माली मैं अपने 1/5 हिस्सा श्रीमती बत्तो द्वारा नत्थी पुत्र सुखपाल से दिनांक 08.10.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद करना बताते हुये बयनामे के आधार पर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत समूची में की गई। जिस पर ग्राम पंचायत समूची द्वारा दिनांक 08.01.2009 को क्रेता श्रीमती बत्तो व विक्रेता नत्थी का कब्जा न मानते हुए इन्तकाल संख्या 1951 खारिज कर दिया तथा इन्तकाल की कार्यवाही में मौके की जांच करने पर कमल का कब्जा पाया गया तथा मकान, गेट, बाड़ा का बना हुआ पाया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 1951 दिनांक 8.1.2009 के खिलाफ श्रीमती बत्तो रेस्पोडेन्ट द्वारा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के समक्ष दिनांक 08.03.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 1951 वाके ग्राम समूँची आदेश दिनांक 08.01.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड किया जाकर सभी पक्षकारान को सुनकर साक्ष्य सबूत के आधार पर उक्त इन्तकाल का विधिनुसार निस्तारण के साथ प्रेषित किया गया है। यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम समूची, तहसील कठूमर, जिला अलवर के आराजी खसरा नं0 1922 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम समूची, तहसील कठूमर का 1/5 हिस्सा असल –रेस्पोडेन्ट द्वारा तरतीबी–रेस्पोडेन्ट नत्थी पुत्र सुखपाल से दिनांक 08.10.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद करना बताते हुए बयनामे के आधार पर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही ग्राम समूची में की गई। जिस पर ग्राम पंचायत समूची द्वारा दिनांक 08.01.2009 को क्रेता असल–रेस्पोडेन्ट व विक्रेता तरतीबी–रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा न मानते हुए इन्तकाल संख्या 1951 खारिज कर दिया तथा इन्तकाल की कार्यवाही में मौके की जांच करने पर अपीलान्ट का कब्जा पाया गया तथा मकान, गेट, बाडा अपीलान्ट का बना हुआ पाया गया। जिस इन्तकाल के विरूद्ध असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील संख्या 12/2/2011 तहत न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की। जिस अपील में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर दिनांक 26.06.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारीत कर दिया। जबकि इन्तकाल में यह तथ्य जांच के दौरान पाया गया कि आराजी विवादित पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा मौके पर अपीलान्ट का गेट, बाडा बना हुआ है। इसके बावजूद भी असल–रेस्पोडेन्ट ने जान बूझकर मिन अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि मिन अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए विवादित इन्तकाल संख्या 1951 खारिज किया गया था। मिन अपीलान्ट को जब विवादित इन्तकाल संख्या 1951 की अपील तहत न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा किये जाने की जानकारी हुई तो मिन अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी दिनांक 17.01.2012 को प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी की बहस सुनी गई। तत्पश्चात दिनांक 07.06.2013 को मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी तहत न्यायालय द्वारा खारिज फरमाया दिया गया। जिस निर्णय दिनांक 07.06.2013 के विरूद्ध मिन अपीलान्ट ने एक रिवीजन संख्या 4548/2013 बअनुवान कमल बनाम श्रीमती बत्तो माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में दायर की। जो रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 24.09.2013 को स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में विस्तृत आदेश पारीत करें। जिस निर्णय की सत्य प्रतिलिपि मिन अपीलान्ट द्वारा तहत न्यायालय ने दिनांक 09.11.2014 को प्रस्तुत कर दी गई थी। इसके पश्चात तहत न्यायालय ने मिन–अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पर बहस हेतु दिनांक 18.04.2018 तक विचाराधीन चलती रही लेकिन प्रार्थना पत्र बहस नहीं सुनी गई। दिनांक 18.04.2018 के बाद पत्रावली 26.06.2018 को कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत की गई। जहां पर अपीलाधीन आदेश बगैर मिन अपीलान्ट को व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुने पारित कर दिया गया। जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पर निर्णय नहीं किया गया और माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 24.09.2013 की स्पष्ट अवेहलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया। अपील ग्राम पंचायत, समूची के आदेश के विरूद्ध दिनांक 07.07.2011 को प्रस्तुत की गई थी। जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी और तहत न्यायालय ने असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा दफा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था लेकिन तहत न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय भी दिनांक 26.06.2018 को नहीं किया और अपील स्वीकार करने में अहम कानूनी गलती की है। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने बगैर किसी जांच के बगैर पक्षकारों को सुने जल्दबाजी में अपना निर्णय पारीत किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 26.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर को निरस्त किया जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलकर्त्ता के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जो रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 24.09.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में विस्तृत आदेश पारीत करें। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने कमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पर बहस हेतु दिनांक

वरिष्ठ संभागीय ... जयपुर

Scanned by CamScanner

18.04.2018 तक विचाराधीन चलती रही लेकिन प्रार्थना पत्र की बहस नहीं सुनी गई। दिनांक 18.04.2018 के बाद पत्रावली 26.06.2018 को कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत की गई। जहां पर अपीलाधीन आदेश बगैर अपीलान्ट को व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुने पारित कर दिया गया। जबकि कमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पर निर्णय नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमती बत्तो द्वारा दफा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय भी दिनांक 26.06.2018 को नहीं किया और अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती की है जबकि कानूनन दफा 5 के प्रार्थना पत्र का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner